

Daily Current Affairs

Date : 05 February, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 2026 का राजस्थान पर प्रभाव
2.	राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 2025
3.	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PM-KKKY) और राजस्थान
4.	रामाश्रय वार्ड पहल
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. थाईलैंड राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना का राजस्थान प्रवास 2. वियान मलिक 3. राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2026
6.	ऋण-GDP अनुपात
7.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)
8.	प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)
9.	पावर गैप इंडेक्स
10.	राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाएँ

--:1:--



भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 2026 का राजस्थान पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

- 2 फरवरी, 2026 को सम्पन्न भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2026 (जिसमें टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया) राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है, जो रत्न-आभूषण, हस्तशिल्प, संगमरमर, और वस्त्र उद्योगों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत देगा।
- यह समझौता जयपुर, भीलवाड़ा, पाली और बालोतरा जैसे केंद्रों में निर्यात बढ़ाकर, स्थानीय MSMEs को पुनर्जीवित करने और परिवहन, बैंकिंग, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना को बढ़ाता है।



--2--

मुख्य बिन्दु:

राजस्थान पर प्रमुख प्रभाव:

- **निर्यात में वृद्धि:** अमेरिका, राजस्थान के वस्त्र, हस्तशिल्प और हथकरघा (ब्लू पॉटरी, लकड़ी के काम), रत्न और आभूषण और संगमरमर की नक्काशी (डायमेशन स्टोन) के लिए एक प्रमुख बाजार है। टैरिफ घटने से यह उत्पाद प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
- राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, 2024 के अनुसार अगले 5 वर्षों में निर्यात को ₹1.50 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **MSME और रोजगार:** राज्य के MSMEs सेक्टर को सहायता मिलेगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरियों का सृजन होगा।
- **प्रतिस्पर्धी बढ़त:** 18% का शुल्क वियतनाम, बांग्लादेश (20%) और चीन (30-35%) की तुलना में राजस्थान के उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर स्थिति में रखता है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** भीलवाड़ा (कपड़ा), जयपुर (रत्न/आभूषण), और जालौर/राजसमंद (संगमरमर) जैसे जिले, जो अमेरिकी ऑर्डरों पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा तथा इस समझौते से भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, जयपुर जैसे वस्त्र निर्माण के केंद्र अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाएंगे।
- **आर्थिक मजबूती:** यह समझौता राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य को गति देगा है। क्योंकि राज्य का 60% से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। साथ ही "अमृत कालखंड - विकसित राजस्थान @2047" परिकल्पना के अनुरूप हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- राजस्थान से पिछले वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ के रत्नाभूषण का निर्यात हुआ था। इसमें करीब 40 फीसदी यानी 7 हजार करोड़ की हिस्सेदारी अमेरिका की है।
- टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद अगस्त, 2025 में अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद अप्रैल से दिसंबर, 2025 के मध्य भारत से अमेरिका को जेम एंड ज्वेलरी निर्यात लगभग 44% घट गया था। अब टैरिफ घटने से निर्यात में 20% तक वृद्धि की संभावना है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 2026 की मुख्य विशेषताएं:

1. **शुल्क में कमी:** अमेरिका ने भारतीय आयात पर पारस्परिक शुल्क 25% से घटाकर 18% कर दिया है।
 - **NOTE:** अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ (आरोपित: अगस्त, 2025 तथा कारण: रूसी तेल खरीद) को प्रभावी रूप से हटाया गया जिससे कुल प्रभावी टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है।
2. **भारत की प्रतिबद्धताएँ:**
 - **बाजार शुल्क:** भारत द्वारा अमेरिका पर लगाए गए शुल्क व गैर-शुल्क बाधाओं को घटाकर शून्य करने की संभावना है।
 - **ऊर्जा/ईंधन खरीद:** समझौते के तहत भारत ने रूसी तेल की खरीद को काफी कम करने पर सहमति व्यक्त की है।
 - **'बाय अमेरिकन' नीति:** भारत ने सरकारी व औद्योगिक खरीद के लिए 'बाय अमेरिकन' के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंध:

- **कुल द्विपक्षीय व्यापार:** वर्ष 2025 में 132 अरब डॉलर।
- **कुल अधिशेष:** वर्ष 2025 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 40.82 अरब डॉलर रहा।

Daily Current Affairs

Date : 05 February, 2026



आयात-निर्यात:

वित्त वर्ष 2025

अमेरिका से आयात	अमेरिका को निर्यात
1. खनिज ईंधन व तेल	1. विद्युत मशीनरी
2. कीमती व अर्द्ध कीमती पत्थर व धातु	2. बहुमूल्य व अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर व धातुएँ
3. परमाणु रिएक्टर व मशीनरी	3. औषधीय उत्पाद
4. विद्युत उपकरण	4. मशीनरी व यांत्रिक उपकरण
	5. खनिज ईंधन
	6. लौह व इस्पात वस्तुएँ

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** भारत में अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है जिसने वर्ष 2000 से 2025 तक कुल 70.65 बिलियन डॉलर का FDI किया है।

--:5:--

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 2025



चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ और कंकाणी इंडस्ट्रियल एरिया को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया जाएगा। यहां निवेशकों को फास्ट-ट्रैक लैंड अलॉटमेंट, यूटिलिटी कॉर्डिनेशन और सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन और सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

21 जनवरी 2026

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी

- यह नीति राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस नीति का प्रमुख उद्देश्य सेमीकंडक्टर और सेंसर के क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना तथा फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है।
- इस नीति के अंतर्गत लगने वाली पात्र इकाइयों का सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा
उपमुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार
f DrPremBairwaOfficial DrPremBairwa

--:6:--



मुख्य बिन्दु:

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 2025

- **स्वीकृति:** 21 जनवरी, 2026 (राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति।)
- **उद्देश्य:** सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाना।
- साथ ही, सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना तथा फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना।
- **नोडल विभाग:** उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग
- **नीति का क्रियान्वयन:** राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए दो समितियों-स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी (एसएलएफसी) और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा।
- **सरकार का मुख्य फोकस:** सरकार का मुख्य फोकस आउटसोर्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) यूनिट्स में निवेश लाने पर रहेगा।

प्रावधान:

1. पॉलिसी के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन, रिसर्च एवं डवलपमेंट तथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पार्कों में अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण और सर्कुलर पहलों के माध्यम से ग्रीन मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
3. प्रदेश में निवेशकों को सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना के लिए राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

Daily Current Affairs

Date : 05 February, 2026



4. नीति में सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है।
5. 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
6. पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
7. पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति।
8. कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट।

UTKARSH


CIVIL
SERVICES

--8--

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PM-KKKY) और राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 आंकाक्षी जिलों और 27 आंकाक्षी ब्लॉकों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन पर जोर दिया है।



मुख्य बिन्दु:

- नीति आयोग द्वारा निर्धारित 5 आंकाक्षी जिले: सिरौही, जैसलमेर, बारां, करौली और धौलपुर।
- नीति आयोग द्वारा निर्धारित 27 आंकाक्षी ब्लॉक: नीमराणा, सज्जनगढ़, किशनगंज, रामसर, वैर, कोटड़ी, कोलायत, नीम्बाहेड़ा, राजगढ़, रामगढ़ पचवारा, बसेड़ी, जोठरी, संगरिया, फतेहगढ़, आहोर, खानपुर, शेरगढ़, मासलपुर, जायल, रानी स्टेशन, पीपलखूंट, भीम, गंगापुर सिटी, आबू रोड़, पीपलू और खैरवाड़ा।

--:9:--

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

- **लॉन्च:** वर्ष 2015
- **प्रभावी:** 12 जनवरी, 2015
- **आधार:** खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत।
- **मंत्रालय:** खान मंत्रालय
- **उद्देश्य:** खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना।

प्रमुख उद्देश्य:

- खनन प्रभावित क्षेत्रों में जिला खनिज संस्थानों (DMF) द्वारा विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना।
- खनन के दौरान होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
- प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन :** प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा डीएमएफ में जमा होने वाली धनराशि का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है।
- **विकास, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तीन लक्ष्य हैं-**
 1. खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जो राज्य एवं केंद्र सरकार के मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के अनुरूप हों।

Daily Current Affairs

Date : 05 February, 2026



2. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों में लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करना।

3. खनन क्षेत्र के प्रभावित लोगों के लिये दीर्घकालीन टिकाऊ, आजीविका सुनिश्चित करना।

- योजना के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 60 फीसदी और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में 40 फीसदी निधि खर्च की जाएगी।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र (PM-KKLY निधि का कम से कम 60% उपयोग)	अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र (PM-KKLY निधि का कम से कम 40% उपयोग)
पेयजल आपूर्ति	भौतिक संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय	
स्वास्थ्य सेवा	जलसंभर एवं ऊर्जा विकास
शिक्षा	
महिला एवं बाल कल्याण	सिंचाई
वृद्धजनों एवं निःशक्तजनों का कल्याण	
कौशल विकास	अन्य उपायों के साथ पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार
स्वच्छता	

- अब तक 307 जिलों में DMF स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें 12 प्रमुख खनन उत्पादक राज्य गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।

-:11:-

रामाश्रय वार्ड पहल



चर्चा में क्यों?

- 3 फरवरी, 2026 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रामाश्रय वार्ड (जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक) से करीब 32 लाख बुजुर्ग इस मानवीय नवाचार से लाभान्वित हो चुके हैं।

The poster features a portrait of a man in a red turban and white shawl on the left. The title 'रामाश्रय वार्ड' is prominently displayed in the center. Below the title, the text reads 'बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और सम्मान का संकल्प'. Two bullet points describe the initiative: 'जिला अस्पतालों में समर्पित जीरियाट्रिक सुविधाएं, सहज उपचार और विशेष देखभाल' and 'प्रदेशभर में अब तक करीब 32 लाख वृद्धजन हुए लाभान्वित'. Two photographs show medical staff attending to elderly patients in a hospital ward. The bottom right corner includes the social media handle '@RajGovOfficial'.

--:12:--



मुख्य बिन्दु:

रामाश्रय वार्ड (जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक)

- **शुभारंभ:** मुख्यमंत्री के निर्देशों के पश्चात चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवर के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2024 से प्रदेश के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया।
- **उद्देश्य:** बुजुर्गों को समर्पित, सुगम और सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- **विशेषताएं:**
 - रामाश्रय वार्डों ने बुजुर्गों को केवल उपचार ही नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसा और मानसिक सुकून भी प्रदान किया है।
 - रामाश्रय वार्डों को बुजुर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रत्येक वार्ड में 10 फाउलर बैड आरक्षित हैं, जिनमें महिला एवं पुरुष रोगियों के लिए समान व्यवस्था की गई है। हर बैड के बीच परदे लगाए गए हैं तथा आपात स्थिति के लिए नर्सिंग अलार्म सिस्टम उपलब्ध है। महिला और पुरुष रोगियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें ग्रेब-बार जैसी सहायक सुविधाएं भी शामिल हैं।
 - इन वार्डों में फिजियोथैरेपी की समुचित व्यवस्था की गई है। शॉर्ट वेव डायथर्मो, अल्ट्रासाउंड थैरेपी, सर्वाइकल एवं पैल्विक ट्रेक्शन तथा ट्रांस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
 - प्रत्येक रामाश्रय वार्ड के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो वार्ड की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन करता है। रोगियों की देखभाल के लिए अलग से नर्सिंग स्टाफ और साफ-सफाई के लिए कार्मिक तैनात किए गए हैं।
 - राजकीय जिला एवं उप जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए जीरियाट्रिक क्लिनिक की विशेष व्यवस्था की गई है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>थाईलैंड राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना का राजस्थान प्रवास</p> <ul style="list-style-type: none">■ 6 से 10 फरवरी, 2026 तक थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना राजस्थान प्रवास पर रहेंगी।■ शासन सचिवालय में रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर सुश्री चवनार्त थांगसुमफैंट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।
2.	<p>वियान मलिक</p> <ul style="list-style-type: none">■ माउंट आबू, सिरोही के 12 वर्षीय वियान मलिक ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के 'उहुरू पीक' (5,895 मीटर) पर तिरंगा फहराया। <p>माउंट किलिमंजारो</p> <ul style="list-style-type: none">■ तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो लगभग 5,895 मीटर की ऊंचाई के साथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है।■ यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र पर्वत श्रृंखला भी है, जिसका अर्थ है कि यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है।■ किलिमंजारो एक स्ट्रेटोवोलकानो या मिश्रित ज्वालामुखी है (राख, लावा और चट्टान की परतों से बने एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के लिए एक शब्द) और यह तीन शंकुओं से बना है: किबो, मार्वेजी और शिरा।■ वर्ष 1973 में , इस पर्वत और इसके आसपास के छह वन गलियारों को इसके अद्वितीय पर्यावरण की रक्षा के लिए किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था।■ इस पार्क को वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

3.

राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2026

IN ASSOCIATION WITH

SUPPORT BY

VENUE AND MULTIPLEX PARTNER

Theme : Cinemasthan - Your Lens, Our Rajasthan

- राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2026 (RIFF) का 12वां संस्करण 31 जनवरी से 4 फरवरी, 2026 तक जोधपुर, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा।
- **आयोजन:** मिराज सिनेमा, ब्लू सिटी मॉल, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर
- **आयोजक:** राजस्थान पर्यटन विभाग और कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से और स्टेज ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा।
- **थीम:** "सिनेमस्थान - योर लेंस, अवर राजस्थान।"
- **पिछले संस्करण:** 11 संस्करण (जयपुर में 8 संस्करण और जोधपुर में 3 संस्करण)।
- **RIFF -** राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, RIFF फिल्म क्लब द्वारा शुरू किया गया एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है।

आर्थिक घटनाक्रम

ऋण-GDP अनुपात

चर्चा में क्यों?

- भारत वर्ष 2030-31 तक ऋण-GDP अनुपात 50 ± 1 प्रतिशत तक सीमित रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बजट अनुमान 2026-27 में यह अनुपात GDP का 55.6% आंका गया है।



मुख्य बिन्दु:

- अब ऋण-GDP का अनुपात को मुख्य नीतिगत लक्ष्य के रूप में अधिक उपयोग किया जा रहा है।

ऋण-GDP अनुपात:

- यह एक वित्तीय संकेतक है। यह किसी देश की GDP की तुलना में उसके कुल सार्वजनिक ऋण को दर्शाता है।
- इससे यह पता चलता है कि देश की ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।
- जितना अधिक ऋण-GDP अनुपात होता है, उतना ही ऋण चुकाने से जुड़ा जोखिम बढ़ता है और डिफॉल्ट की आशंका भी अधिक हो जाती है।

--:16::--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, MPLADS निधि के उपयोग को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है।



मुख्य बिन्दु:

- आलोचकों के अनुसार, इसकी निधियों का उपयोग अक्षम तरीके से किया जा रहा है। इसकी निधियों को निर्धारित कार्यों की बजाय अन्य कार्यों में व्यय कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसकी निगरानी भी ठीक से नहीं होती, इसलिए इस योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- **प्रकार:** शुरुवात: वर्ष 1993, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **मंत्रालय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- **उद्देश्य:** यह योजना संसद सदस्यों को विकासात्मक कार्यों (जैसे- पेयजल, स्वच्छता आदि) की सिफारिश करने तथा उन्हें पूरा करवाने में सक्षम बनाती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण (IDA) कार्यों को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों, न्यासों और सहकारी समितियों का चयन करता है।
- **निधियों का आवंटन:** इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं।
- लोक सभा सांसद अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- राज्य सभा सांसद उस राज्य में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, जहां से वे निर्वाचित हुए हैं।
- दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य देश के किसी भी हिस्से में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए विशेष प्रावधान

- संसद सदस्य प्रतिवर्ष MPLADS निधि का कम-से-कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों में और कम-से-कम 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च के लिए सिफारिश करेगा।
- **अपवाद:** यदि किसी लोक सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों (ST) की संख्या कम है, तो उस निधि का उपयोग अनुसूचित जाति (SC) वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- इसी प्रकार, यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या बहुत कम है, तो वह निधि अनुसूचित जनजाति (ST) वाले क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग की जा सकती है।

- **गैर-व्यपगत निधि:** MPLADS के तहत निधियां गैर-व्यपगत प्रकृति की होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बची हुई आवंटित राशि अगले वर्ष भी खर्च की जा सकती है।
- **विशेष परिस्थितियां:** सांसद अपने क्षेत्र के बाहर प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। किसी आपदा की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए 1 करोड़ रुपये तक की सिफारिश कर सकते हैं।

न्यायिक रुख

- **सर्वोच्च न्यायालय (2010):** भीम सिंह बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने MPLADS की संवैधानिकता को बरकरार रखा। इसने फैसला सुनाया कि भारत में "शक्तियों का पृथक्करण" कठोर नहीं है और जब तक सांसद की भूमिका "सिफारिश" तक सीमित है और जिला प्राधिकरण "निष्पादन" करता है, तब तक यह योजना वैध है
- **जवाबदेही व्यवस्था:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मात्र दुरुपयोग योजना को रद्द करने का आधार नहीं है, क्योंकि सीएजी ऑडिट और संसदीय समितियों जैसी जांच व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

चर्चा में क्यों?

- पीएम विकास ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लगभग 1.51 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है



मुख्य बिन्दु:

पीएम विकास

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना है:
 - कौशल विकास और प्रशिक्षण
 - महिला नेतृत्व और उद्यमिता
 - शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
 - बुनियादी ढाँचा विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)
- अल्पसंख्यक समूह—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (ज़ोरोस्ट्रियन)

--:20:--

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

पावर गैप इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

- आर्थिक सर्वेक्षण-2025-26 में पावर गैप इंडेक्स का उल्लेख किया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता से कम स्तर पर कार्य कर रहा है।



मुख्य बिन्दु:

अतिरिक्त जानकारी:

- यह एशिया पावर इंडेक्स से प्रेरित एक द्वितीयक विश्लेषण है।
- एशिया पावर इंडेक्स आस्ट्रेलिया स्थिति लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह एशियाई देशों के संसाधनों और प्रभाव के आधार पर उनकी सापेक्ष शक्ति को मापता है।
- इनमें 27 देशों ओर क्षेत्रों को 8 प्रमुख विषयों और 131 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की गई है।
- 2025 संस्करण के अनुसार, भारत का पावर गैप अंक-4.0 है, जो दर्शाता है कि भारत अभी अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है।

